## न्यायालयः डॉ. कुलदीप जैन, विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

	<u>आदेश</u>	दिनॉक-	-07.02.2018	3
--	-------------	--------	-------------	---

<u>प्र0कं0 474 / 13 विद्युत</u>

म०प्र० विद्युत	
<u>//बनाम//</u>	7
भूरे सिंह	, ~C

.....अभियोगी

. आरोपी

## Order sheet (contd)

case N0- 474/of 2013 F.N.-230301006412013

Α-	1.112303010004120	710
Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
07.02.2018	परिवादी द्वारा श्री प्रवीण थापक अधिवक्ता। अभियुक्त भूरे सिंह अनुपस्थित। प्रकरण भूरे सिंह की उपस्थिति हेतु नियत है। पुलिस थाना उमरी जिला भिण्ड से अभियुक्त भूरे सिंह का वारण्ट इस तस्दीक के साथ वापिस प्राप्त कि वह फरार हो गये है फरारी साक्ष्य में साक्षी आरक्षक जितेन्द्रसिंह उपस्थित हैं। उसकी फरारी साक्ष्य अंतर्गत धारा 299 द0प्र0संठ लेखबद्ध की गई। उन्होंने शपथपूर्वक तामीली रिपोर्ट का समर्थन किया है। उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करते हुये अभियुक्त भूरे सिंह को फरार घोषित किया जाता है। उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी हो। स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट संबंधित आरक्षक जितेन्द्र सिंह को प्रदत्त कर पावती आदेश पत्रिका में ली जावे। धारा 82 द0प्र0संठ के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो। धारा 83 द0प्र0संठ के अंतर्गत कार्यवाही के लिए अभियोजन अभियुक्त की सम्पत्ति का विवरण पेश करे। प्रकरण में आरोपी फरार हैं। तद्गनुसार अभिलेख व मुद्देमाल सुरक्षित रखने संबंधी टीप प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से अंकित की जावे।	

प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिणाम पंजी में अंकित कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार किया जावे। सही /— (डॉ० कुलदीप जैन) विशेष न्यायाधीश (विद्युत) भिण्ड (म०प्र०)

WITHER A PARTON SUNTY PARTON OF THE PARTON O